उपभोक्ता मामले विभाग

उपभोक्ता मामले विभाग का जून, 2020 माह का मासिक सार

1. जून, 2020 माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय :

1.1 माननीय प्रधानमंत्री ने 30 जनवरी, 2020 को अप्रैल से जून, 2020 की प्रारंभिक अविध से आगे नवंबर, 2020 के अंत तक पी.एम.जी.के.ए.वाई. को बढाए जाने की घोषणा की। इस पांच माह की अवधि (जुलाई से नवंबर, 2020 तक) के दौरान पी.एम.सी.जी.ए.वाई. के तहत पहले से चिह्नित लाभार्थियों को नि:शुल्क प्रति माह प्रति परिवार 1 कि.ग्रा. साबूत चना प्रदान किया जाएगा।

1.2 पी.एम.जी.के.ए.वाई. स्कीम की जुलाई से नवंबर, 2020 की अवधि के लिए बफर में बड़ी मात्रा में चना दाल रिलीज की जाएगी। उपभोक्ता मामले विभाग डी.ए.सी.एफ.डब्ल्यू. के परामर्श से पी.एस.एस. और पी.एस.एफ. से संबंधित दालों की निपटान नीति में समरूपता लाएगी।

1.3 विभाग द्वारा आवश्यक खाद्य वस्तुओं के लिए मूल्य बढ़ाने वाले घटकों की पर सुदृढ़ तरीके से जांच की जाएगी।

1.4 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन आवश्यक वस्तुओं की सूची से खाद्य सामग्रियों को हटाते हुए दिनांक 06.06.20 को प्रकाशित अध्यादेश के माध्यम से किया गया।

1.5 देश में सर्जिकल मास्क और हैड सैनिटाईजरों की कमी नहीं है और यह सामाग्रियां बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं। इसलिए, विभाग ने यह निर्णय लिया है कि दिनांक 30.06.2020 के बाद आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत आवश्यक वस्तुओं के रूप में सर्जिकल मास्क और सैनिटाईजर को वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

1.6 बी.आई.एस. ने एम.एस.एस.ई. लाइसेंसधारियों के लिए विशेष छूट प्रदान की है और सभी नए और नवीकरण आवेदनों के लिए वर्ष 2020-21 हेतु एम.एस.एम.ई. फर्मो को न्यूनतम अंकन शुल्क पर 20 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान की है।

1.7 वर्ष 2020-21 के लिए एम.एस.एम.ई. को निरीक्षण शुल्क पर 20 प्रतिशत की छूट दी गई थी। प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन के लिए लाइसेंस के साथ जमा किए जाने वाले आवेदन शुल्क को पहले के 7000/- रुपये के स्थान पर 2020-21 के लिए 1000/- रुपये कर दिया गया है।

1.8 एम.एस.एम.ई. को बी.आई.एस. लाइसेंस की स्वीकृति या नवीकरण के समय पर अग्रिम अंकन शुल्क को दो समान किस्तों में, (स्वीकृति या नवीकरण के समय पर पूर्ण भुगतान के स्थान पर) साथ ही बिना किसी ब्याज के 6 माह के भीतर दूसरी किस्त के साथ (30 सितंबर, 2020 तक लाइसेंस की स्वीकृति तथा नवीकरण के लिए) जमा करने की अनुमति दी गई है।

1.9.1 पुन: खुलने (अनलॉक 1.0) के दौरान कोविड-19 की व्याप्त स्थिति के कारण बाट तथा माप के सत्यापन तथा स्टैम्पिंग के लिए आगे की तीन माह की अवधि के लिए विस्तार हेतु राज्य सरकारों को एडवायजरी जारी की गई है। सभी आयातित/स्वदेशी रूप से निर्मित मार्जरीन पैकेजों के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी बिक्री एम.आर.पी. से अधिक पर नहीं हो रही है, विधिक मापविज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) नियम, 2011 के अनुपालन के लिए भी राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी की गई है।

2. जून, 2020 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां

2.1 विभाग ने कोविड 19 के कारण आर्थिक व्यवधान के कारण उत्पन्न गरीबी की कठिनाइयों को दूर करने के लिए कोविड-19 के आर्थिक प्रतिक्रिया के अंश के रूप में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पी.एम.जी.के.ए.वाई.) पैकेज के तहत 3 महीनों (अप्रैल से जून, 2020 तक) के लिए एनएफएसए लाभार्थियों के लिए प्रति परिवार एक किलो दाल का प्रावधान किया है। 1.96 लाख मी.टन दालों के मासिक आबंटन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 5.80 लाख मी.टन दालें वितरित की गई जिनमें से 5.61 लाख मी.टन दाल उन्हें प्राप्त हो चुकी है तथा 4.5 लाख मी.टन अंतिम लाभार्थियों को वितरित की जा चुकी है।

2.2 इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत या आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बिना राशन कार्ड के फंसे हुए प्रवासी कामगार परिवार के लिए सरकार के बफर स्टॉक से 1 किलो साबूत चना के प्रावधान के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लगभग 33,744 मी.टन साबूत चना वितरित किया जा चुका है जिनमें से 32,287 मी.टन प्राप्त प्रदान हो चुका है तथा 7356 मी.टन उनके द्वारा वितरीत की जा चुकी है।

2.3 नैफेड ने यह जानकारी दी है कि जून, 2020 के अंत तक कुल 1.54 लाख मी.टन की अधिप्राप्ति पीएसएफ के लगभग 0.19 लाख मी.टन तूर दाल की अधिप्राप्ति हो चुकी है। साथ ही, पीएसएफ को पीएसएस (खरीफ मार्केटिंग सीजन 2019-20) के तहत 2 लाख मी.टन तूर की अधिप्राप्ति के लिए ऋण दाता बैंकों में नेफैड के पीएसएस खाते को लगभग 1160 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

2.4 नैफेड ने प्रभावी बाजार हस्तक्षेप के लिए बफर बनाने हेतु जून, 2020 के अंत तक पीएसएफ के तहत रबी 2020 की फसल से 41,121 मीट्रिक टन प्याज की खरीद की है।

2.5 बी.आई.एस. (प्रशासन, वित्त और अन्य पदों की नियुक्ति) विनियमन, 2019 को सरकारी राजपत्र में दिनांक 25 जून, 2020 को अधिसूचित किया गया।

2.6 बी.आई.एस. (कर्मचारियों के सेवा के निबंधन तथा शर्तें) विनियमन, 2019 को सरकारी राजपत्र में दिनांक 25 जून, 2020 को अधिसूचित किया गया।

2.7 भारतीय मानक आई.एस. 17423:2020 के अनुसार कोविड 19 के लिए कवरोल्स का प्रमाणन आरंभ हो चुका है1 बी.आई.एस. प्रमाणन प्रक्रिया के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए 17 जून, 2020 को कवरोल्स उत्पादकों के साथ एक सेमिनार का आयोजन भी किया गया। परिणामस्वरूप लाइसेंस की स्वीकृति के लिए आज की तिथि तक 10 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

2.9 रसायन तथा पेट्रोरसायन विभाग (डीसीपीसी.) ने बीआईएस (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियमन, 2018 की स्कीम-1 के अनुसार विविध रसायनों के लिए 14 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अधिसूचित किए हैं।

2.10 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, डीपीआईआईटी ने बी.आई.एस. (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियमन, 2018 की स्कीम-1 के अनुसार दिनांक 17 जून, 2020 के एस ओ 1920(अ) में बटरफ्लाई वॉल्व (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 को अधिसूचित किया है।

3 माह के दौरान आयोजित महत्वपूर्ण बैठकें

3.1 आवश्यक वस्तुओं के मूल्य की समीक्षा के लिए दिनांक 08.06.2020 को सचिवों की समिति की एक बैठक आयोजित की गई जिसमें यह सिफारिश की गई कि उपभोक्ता मामले विभाग कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग बफर स्टॉक और राज्यों की जरूरतों के लिए दालों की पर्याप्त मात्रा की अधिप्राप्ति को सुनिश्चित करेंगे।

3.2 माह के दौरान पीएसएफ के तहत बफर स्टॉक के प्रबंधन के लिए चार साप्ताहिक समीक्षा बैठकों का आयोजन किया गया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बफर स्टॉक का निपटान, पीएसएफ के तहत नए स्टॉक की अधिप्राप्ति, सेना को आपूर्ति की स्थिति, खातों के भुगतान की भी समीक्षा की गई। बफर संचालन की क्षमता में सुधार लाने के लिए जिसमें निपटान नीति और दालों की बिक्री की जांच की समीक्षा भी शामिल है, पर भी विचार-विमर्श किया गया।

3.3 आवश्यक वस्तुओं के मूल्य की समीक्षा के लिए माह के दौरान चार आईएमसी बैठकों का अयोजन किया गया।

3.4 माह के दौरान पीएसएफ के तहत बफर स्टॉक के प्रबंधन पर एक साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।

4. कोविड-19 (कोरोना वायरस) और विवश करने वाली परिस्थिति के मद्देनजर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों से मास्क तथा सैनिटाइजरों की सहज उपलब्धता तथा जमाखोरी की समस्या यदि कोई हो, पर टिप्पणी/विचार प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

5. छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्सव

दिनांक 21.06.2020 को विभाग ने अपने सहयोगी कार्यालयों के साथ मिलकर छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्सव मनाया। विभाग से बड़ी संख्या में अधिकारी अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने घरों पर योग दिवस 2020 के थीम अर्थात् "घर पर योग और परिवार के साथ योग" के अनुरूप योग किया।

6. राष्ट्रीय आयोग द्वारा दिए गए उल्लेखनीय आदेश/निर्णय:

गिरिजाबाई एवं अन्य बनाम रिलायंस जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड

एक बीमा कंपनी ने उपभोक्ता को बीमा राशि के रूप में 4.8 लाख रू के भुगतान के लिए मध्य प्रदेश राज्य आयोग के आदेश के खिलाफ एनसीडीआरसी में संशोधन याचिका दायर किया। उक्त उपभोक्ता श्री राधेश्याम मौर्य ने 4,80,000/- की राशि का 'रिलायंस सुपर ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान पॉलिस' के लिए आवेदन किया था और दिनांक 05.05.2009 को 20,000/- रुपये के वार्षिक प्रीमियम का भुगतान किया। उक्त राधेश्याम मौर्य का दिनांक 27.05.2009 को एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया। बीमा कंपनी ने इस आधार पर क्लेम देने से मना कर दिया कि पॉलिसी जारी होने से पहले अर्थात् जोखिम की कवरेज आरंभ होने से पहले ही बीमाधारक राधेश्याम मौर्य का देहांत हो गया।

एनसीडीआरसी ने 56,000/- रुपये के अभियोग खर्च 4.8 लाख रुपये की बीमा राशि देने के राज्य आयोग के निर्णय को संशोधित कार्यवाही में बरकरार क्योंकि प्रीमियम का भुगतान करने की तारीख से 15 दिनों के बाद भी पालिसी जारी नहीं की गई थी (आईआरडीएआई के दिशानिर्देशों के अनुसार पॉलिसी, प्रीमियम के भुगतान की तारीख से 15 दिनों के भीतर जारी की जानी चाहिए थी)।